

सरकार विस रामधन  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णय दिनांक 3-4-17  
धारा 91 C.R. Act 1956 मु.सं. 10/17

03-4-17

पत्रावली पेश हुई। जैर सायल अतिक्रमी उपर।  
संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पत्रवारी हक  
ऑलन्दा से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई  
कि राजकीय भूमि ग्राम वांसोली में आ. ख. नं.  
3। कुल रकवा 3.86 हेक्टे. किस्म जमीन वंजड  
कदीम में से रकवा 0.48 हेक्टे. पर जिस गैड  
बोकर श्री रामधन पुत्र विरंजी जाति जायव  
निवासी गढी की लपट्टी द्वारा अतिक्रमण कर  
लिया है।  
प्रकरण दर्ज रजि. किया जाकर जैर सायल  
अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया  
गया जिसकी पालना में जैर सायल अतिक्रमी  
उपस्थित अदालत आया एवं नोटिस जवाब  
प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतिक्रमित  
रकवा वंजड कदीम जो राजकीय एवं सार्वजनिक  
उपयोग की भूमि है जिससे जैर सायल अतिक्रमी  
को वेदवत किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी  
रामधन पुत्र विरंजी जाति जायव निवासी गढी  
की लपट्टी को ख. नं. 3। रकवा 0.48 हेक्टे पर  
जिस गैड बोकर किये अतिक्रमण से वेदवत  
किया जाता है तथा लगान 4.32 की पन्नास  
गुणा चैनल्टी राशि = 216/- रुपये (दो सौ बीस छह)  
से दण्डित किया जाता है जिसकी T.R.A को  
मांग करायें कराई जावे व गिराव। पत्रवारी  
हक को चैनल्टी वसूली एवं वेदवली हेतु  
तथा खडी फसल को नीलाम कर फई नीलामी  
स्वी कृति हेतु लिया जाकर पत्रावली फसल  
शुमार होकर वाय तकमील दाखिल रफर  
हो।

निर्णय आज दिनांक 03-4-17 को सुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार

2017-18  
216  
107